

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पश्चिम विहार नई दिल्ली- 110087

पंजीकरण सूचना

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पश्चिम विहार, नई दिल्ली सत्र 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित एवं क़ानूनी रूप से अस्तित्व वाली दिल्ली में पंजीकृत फ़ार्मों एवं डीलरों से बायोडाटा सहित निम्नलिखित वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है :-

1	मुद्रण सामग्री की आपूर्ति	2	फर्नीचर रख-रखाव एवं सामान की आपूर्ति
3	विद्युत (Electrical) वस्तुओं के रख रखाव एवं आपूर्ति	4	बिल्डिंग रख रखाव (सिविल कार्य) - मरम्मत कार्य एवं सामग्री की खरीद
5	खेल कूद सामग्री एवं वस्तुओं की आपूर्ति	6	स्टेशनरी सामान की आपूर्ति
7	विज्ञान प्रयोगशाला सामान की आपूर्ति	8	फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी
9	टेंट / तम्बू से सम्बंधित वस्तुएं किराय हेतु	10	फैंसी कपड़े/ वेश भूषा -खरीद एवं किराय हेतु
11	सी.सी.टी.वी कैमरे एवं ई.पी.बी.ए.एक्स - सामान्य एवं वार्षिक रख रखाव, आपूर्ति हेतु अनुबंध	12	कंप्यूटर एवं कंप्यूटर सम्बंधित उपकरण की रख रखाव - सामान्य एवं वार्षिक , आपूर्ति हेतु अनुबंध
13	ए.सी का रख रखाव - सामान्य एवं वार्षिक रख रखाव, आपूर्ति हेतु अनुबंध	14	आर.ओ का रख रखाव - सामान्य एवं वार्षिक रख रखाव, आपूर्ति हेतु अनुबंध
15	परिवहन किराय पर लेने हेतु	16	विद्यालय में खान पान / कैटीन सेवाओं हेतु
17	फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर - सामान्य एवं वार्षिक रख रखाव, आपूर्ति हेतु अनुबंध	18	अग्नि शामक यन्त्र - सामान्य एवं वार्षिक रख रखाव, आपूर्ति हेतु अनुबंध
19	वाद्य यन्त्र - सामान्य एवं वार्षिक रख रखाव, आपूर्ति हेतु अनुबंध	20	श्रव्य दृश्य सहायता - सामान्य एवं वार्षिक रख रखाव, आपूर्ति हेतु अनुबंध
21	चार्टर्ड अकाउंटेंट कार्य हेतु	22	अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी/ निपटान हेतु
23	फ्लेक्स बैनर बनवाने हेतु		

नोट-

- 1) दिल्ली में पंजीकृत फ़र्म- जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन, टैन अथवा पैन नंबर, FSSAI (कैटीन हेतु) शर्तों को पूरा करने वाली फ़र्म दिनांक- 05.07.2025 तक केंद्रीय विद्यालय पश्चिम विहार, नई दिल्ली में अपनी फ़िर्मों का पंजीकरण कर सकते हैं । विद्यालय की वेबसाइट से पंजीकरण फ़ॉर्म डाउनलोड करने के लिए <https://paschimvihar.kvs.ac.in/> पर जायें ।
- 2) फ़र्म/ फ़िर्मों द्वारा प्रत्येक समूह के लिए निर्धारित "आवेदन पत्र" में प्रस्तुत आवेदन ही स्वीकार किया जायेंगे ।
- 3) फ़िर्मों का पंजीकरण स्पीड पोस्ट द्वारा ही स्वीकार किया जायेगा ।
- 4) "आवेदन पत्र" के सभी पृष्ठों पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए ।
- 5) के.वि पश्चिम विहार नई दिल्ली किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
- 6) पता, फ़ोन नंबर बदलाव की स्थिति में के.वि पश्चिम विहार को तुरंत सूचित किया जाये ताकि फ़िर्मों के साथ उचित संचार हो सके ।

प्राचार्य